अध्याय 7

वस्तु संव्यवहार कर

विस्तार, प्रारंभ और लागू होना।

97. (1) इस अध्याय का विस्तार, संपूर्ण भारत पर है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

(3) यह इस अध्याय के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् किए गए कराधेय वस्तु संव्यवहारों को लागू होगा ।

परिभाषाएं।

98. इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

1961 का 43

(1) ''अपील अधिकरण'' से आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 252 के अधीन गठित अपील अधिकरण अभिप्रेत है ;

(2) ''निर्धारण अधिकारी'' से वह आय-कर अधिकारी या सहायक आय-कर आयुक्त या उप आय-कर आयुक्त या संयुक्त आय-कर आयुक्त या अपर आय-कर आयुक्त अभिप्रेत है, जो बोर्ड द्वारा इस अध्याय के अधीन निर्धारण अधिकारी को प्रदत्त या समनुदेशित सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने और सौंपे गए सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ;

(3) ''वस्तु संव्यवहार कर'' से इस अध्याय के उपबंधों के अधीन कराधेय वस्तु संव्यवहारों पर उद्ग्रहणीय कर अभिप्रेत है ;

(4) ''विहित'' से इस अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(5) ''कराधेय वस्तु संव्यवहार'' से मान्यताप्राप्त संगमों में व्यवहार किए गए माल के विकल्प या वस्तु व्युत्पन्न के विकल्प या किसी अन्य वस्तु व्युत्पन्न के क्रय या विक्रय का संव्यवहार अभिप्रेत है'';

1952 का 74
1961 का 43

(6) उन शब्दों और पदों के, जो इस अध्याय में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं, और अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952, आय-कर अधिनियम, 1961 या उनके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उन अधिनियमों में क्रमशः उनके हैं ।

वस्तु संव्यवहार कर का प्रभार।

99. इस अध्याय के प्रारंभ की तारीख से ही, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक कराधेय वस्तु संव्यवहार के संबंध में ऐसे संव्यवहार के मूल्य पर उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दरों पर वस्तु संव्यवहार कर प्रभारित किया जाएगा और ऐसा कर उक्त सारणी के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, विक्रेता या क्रेता द्वारा संदेय होगा :

सारणी

क्रम सं0	कराधेय वस्तु संव्यवहार	दर	द्वारा संदेय
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	माल में विकल्प या किसी वस्तु व्युत्पन्न में विकल्प का विक्रय	0.017 प्रतिशत	विक्रेता
2.	जहां किसी विकल्प का प्रयोग किया गया है, वहां माल में विकल्प या वस्तु व्युत्पन्न में किसी विकल्प का विक्रय	0.125 प्रतिशत	विक्रेता
3.	अन्य वस्तु व्युत्पन्न में विकल्प का विक्रय	0.017 प्रतिशत	क्रेता

कराधेय वस्तु संव्यवहार का मूल्य।

100. धारा 99 में सारणी के स्तंभ (2) के अधीन विनिर्दिष्ट कराधेय वस्तु संव्यवहारों का मूल्य,—

(क) क्रम सं0 1 के सामने ऐसे संव्यवहारों के संबंध में, विकल्प प्रीमियम होगा;

(ख) क्रम सं0 2 के सामने ऐसे संव्यवहारों के संबंध में, वह कीमत होगी जिस पर माल में विकल्प या वस्तु व्युत्पन्न में विकल्प तय किया जाता है ;

(ग) क्रम सं0 3 के सामने ऐसे संव्यवहारों के संबंध में, वस्तु व्युत्पन्न के विकल्प की तय की गई कीमत होगी ।

वस्तु संव्यवहार कर का संग्रहण और वसूली।

101. (1) प्रत्येक मान्यताप्राप्त संगम (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् निर्धारिती कहा गया है), यथास्थिति, ऐसे क्रेता या विक्रेता से, जो उस मान्यताप्राप्त संगम में कराधेय वस्तु संव्यवहार करता है, धारा 99 में विनिर्दिष्ट दरों पर वस्तु संव्यवहार कर का संग्रहण करेगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार किसी कलैंडर मास के दौरान संगृहीत वस्तु संव्यवहार कर का, प्रत्येक निर्धारिती द्वारा उक्त कलैंडर मास के ठीक बाद के मास के सातवें दिन तक, केन्द्रीय सरकार के खाते में संदाय किया जाएगा ।

(3) ऐसा कोई निर्धारिती, जो उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार कर का संग्रहण करने में असफल रहता है, ऐसी असफलता के होते हुए भी, उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के खाते में उक्त कर का संदाय करने का दायी होगा।

विवरणी का दिया जाना।

102. (1) प्रत्येक निर्धारिती, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् विहित समय सीमा के भीतर, उस मान्यताप्राप्त संगम में उस वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए सभी कराधेय वस्तु संव्यवहारों के संबंध में ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से सत्यापित तथा ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए, जो विहित की जाएं, एक विवरणी तैयार करेगा और उसे निर्धारण अधिकारी या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी या अभिकरण को परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा।

(2) जहां कोई निर्धारिती, विहित समय सीमा के भीतर उपधारा (1) के अधीन विवरणी देने में असफल रहता है, वहां निर्धारण अधिकारी ऐसे निर्धारिती को एक सूचना जारी कर सकेगा और उस पर उसकी तामील उससे यह अपेक्षा करते हुए कर सकेगा कि वह विहित प्ररूप में और विहित रीति से सत्यापित ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, विवरणी प्रस्तुत करे ।

(3) कोई निर्धारिती, जिसने उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन विहित समय सीमा के भीतर विवरणी प्रस्तुत नहीं की है या उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन विवरणी प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात् उसे उसमें किसी लोप या गलत कथन का पता लगता है तो वह निर्धारण किए जाने के पूर्व किसी समय, यथास्थिति, विवरणी या पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा ।

निर्धारण ।

103. (1) इस अध्याय के अधीन निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी किसी ऐसे निर्धारिती पर, जिसने धारा 102 के अधीन विवरणी प्रस्तुत की है या जिस पर उस धारा की उपधारा (2) के अधीन सूचना की तामील की गई है, चाहे कोई विवरणी दी गई है या नहीं, किसी सूचना की तामील कर सकेगा, जिसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख को, ऐसे लेखाओं या दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य को, जिसकी निर्धारण अधिकारी इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने या कराने की उससे अपेक्षा की जाएगी और समय-समय पर और सूचनाओं की तामील कर सकेगा जिनमें उससे ऐसे लेखाओं या दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य को, जिसकी वह अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जा सकेगी ।

(2) निर्धारण अधिकारी ऐसे लेखाओं, दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात्, जो उपधारा (1) के अधीन उसने प्राप्त किए हैं और किसी अन्य सुसंगत सामग्री पर विचार करने के पश्चात्, जो उसने एकत्रित की है, लिखित आदेश द्वारा सुसंगत वित्तीय वर्ष के दौरान कराधेय वस्तु संव्यवहारों का मूल्य निर्धारित करेगा और ऐसे निर्धारण के आधार पर संदेय वस्तु संव्यवहार कर या देय प्रतिदाय का अवधारण करेगा :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई निर्धारण सुसंगत वित्तीय वर्ष के अंत से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(3) प्रत्येक निर्धारिती, यदि उपधारा (2) के अधीन निर्धारण पर उसे कोई रकम प्रतिदेय है तो ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, यथास्थिति, विक्रेता या क्रेता को, जिससे ऐसी रकम संगृहीत की गई थी, उस रकम का प्रतिदाय करेगा ।

भूल की परिशुद्धि ।

104. (1) अभिलेख से प्रकट किसी भूल की परिशुद्धि करने की दृष्टि से, निर्धारण अधिकारी, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश को, उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें वह आदेश, जिसमें संशोधन किए जाने की वांछा की गई है, पारित किया गया था, एक वर्ष के भीतर संशोधित कर सकेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी आदेश से संबंधित अपील के रूप में किसी कार्यवाही में किसी मामले पर विचार किया गया है और उसका विनिश्चय किया गया है, वहां ऐसा आदेश पारित करने वाला निर्धारण अधिकारी, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, उस मामले से, जिस पर इस प्रकार विचार किया गया है और जिसे विनिश्चित किया गया है, भिन्न किसी मामले के संबंध में उस उपधारा के अधीन आदेश का संशोधन कर सकेगा ।

(3) इस धारा के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्धारण अधिकारी, या तो स्वप्रेरणा से या निर्धारिती द्वारा इसकी जानकारी में लाई गई किसी भूल पर उपधारा (1) के अधीन कोई संशोधन कर सकेगा ।

(4) कोई संशोधन, जिसका प्रभाव किसी निर्धारण को बढ़ाना या किसी प्रतिदाय को कम करना या अन्यथा निर्धारिती के दायित्व को बढ़ाना है, इस धारा के अधीन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती को ऐसा करने के अपने आशय की सूचना नहीं दे दी हो और निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

(5) इस धारा के अधीन संशोधन का आदेश निर्धारण अधिकारी द्वारा लिखित में किया जाएगा।

(6) इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां किसी ऐसे संशोधन का प्रभाव निर्धारण को कम करना है वहां निर्धारण अधिकारी ऐसा प्रतिदाय देगा, जो उस निर्धारिती को देय हो ।

(7) जहां किसी ऐसे संशोधन का प्रभाव निर्धारण को बढ़ाना या पहले से किए गए प्रतिदाय को कम करना है, वहां निर्धारण अधिकारी निर्धारिती द्वारा संदेय राशि विनिर्दिष्ट करते हुए आदेश करेगा और इस अध्याय के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

वस्तु संव्यवहार कर के विलंबित संदाय पर ब्याज।

105. ऐसा प्रत्येक निर्धारिती, जो धारा 101 के अधीन यथा अपेक्षित वस्तु संव्यवहार कर या उसके किसी भाग को, उस धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार के खाते में जमा करने में असफल रहता है, प्रत्येक उस मास या मास के भाग के लिए, जिस तक कर या उसके किसी भाग के ऐसे जमा करने में विलंब किया गया है, ऐसे कर के एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करेगा।

106. कोई निर्धारिती, जो,— वस्तु संव्यवहार कर के संग्रहण या संदाय में असफलता के लिए शास्ति।

(क) धारा 101 के अधीन यथा अपेक्षित संपूर्ण वस्तु संव्यवहार कर या उसके किसी भाग का संग्रहण करने में असफल रहता है ; या

(ख) वस्तु संव्यवहार कर संगृहीत करने के पश्चात् ऐसे कर का उस धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय सरकार के खाते में संदाय करने में असफल रहता है,—

(i) खंड (क) में निर्दिष्ट मामले में, उस धारा की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार कर का या धारा 105 के उपबंधों के अनुसार ब्याज का, यदि कोई हो, संदाय करने के अतिरिक्त, वस्तु संव्यवहार कर की उस रकम के बराबर, जिसका संग्रहण करने में वह असफल रहा था, राशि का शास्ति के रूप में संदाय करने के लिए दायी होगा ;

(ii) खंड (ख) में निर्दिष्ट मामले में, उस धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार कर का और धारा 105 के उपबंधों के अनुसार ब्याज का संदाय करने के अतिरिक्त, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक हजार रुपए की राशि का शास्ति के रूप में संदाय करेगा, तथापि इस खंड के अधीन शास्ति उस वस्तु संव्यवहार कर की रकम से अधिक नहीं होगी, जिसका संदाय करने में वह असफल रहा था ।

107. जहां कोई निर्धारिती विहित समय सीमा के भीतर धारा 102 की उपधारा (1) के अधीन या उपधारा (2) के अधीन विवरणी देने में असफल रहता है तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, सौ रुपए की राशि का शास्ति के रूप में संदाय करने के लिए दायी होगा । विहित विवरणी देने में असफलता के लिए शास्ति।

108. यदि निर्धारण अधिकारी का, इस अध्याय के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान यह समाधान हो जाता है कि निर्धारिती धारा 103 की उपधारा (1) के अधीन सूचना का अनुपालन करने में असफल रहा है तो वह यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा निर्धारिती उसके द्वारा संदेय किसी वस्तु संव्यवहार कर और ब्याज, यदि कोई हो, के अतिरिक्त, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी प्रत्येक असफलता जारी रहती है, दस हजार रुपए की राशि का शास्ति के रूप में संदाय करेगा । सूचना का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति।

109. (1) धारा 106 या धारा 107 या धारा 108 के उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उक्त धाराओं में निर्दिष्ट किसी असफलता के लिए कोई शास्ति अधिरोपणीय नहीं होगी, यदि निर्धारिती निर्धारण अधिकारी के समाधान के लिए यह साबित कर देता है कि उक्त असफलता के लिए युक्तियुक्त कारण था । कतिपय दशाओं में शास्ति का अधिरोपित न किया जाना।

(2) इस अध्याय के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

1961 का 43

110. आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 120, धारा 131, धारा 133क, धारा 156, धारा 178, धारा 220 से धारा 227, धारा 229, धारा 232, धारा 260क, धारा 261, धारा 262, धारा 265 से धारा 269, धारा 278ख, धारा 282 और धारा 288 से धारा 293 के उपबंध, जहां तक हो सके, वस्तु संव्यवहार कर के संबंध में लागू होंगे :— आय-कर अधिनियम के कतिपय उपबंधों का लागू होना।

111. (1) धारा 103 के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए किसी निर्धारण आदेश से या धारा 104 के अधीन किसी अन्य आदेश से या इस अध्याय के अधीन निर्धारित किए जाने वाले उसके दायित्व से इन्कार करने वाले किसी आदेश से या इस अध्याय के अधीन शास्ति के अधिरोपण के किसी आदेश से व्यथित कोई निर्धारिती, निर्धारण अधिकारी के आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, आय-कर आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा । आय-कर आयुक्त (अपील) को अपीलें।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में होगी और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, सत्यापित की जाएगी और उसके साथ एक हजार रुपए की फीस होगी ।

1961 का 43

(3) जहां कोई अपील उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई है, वहां आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 249 से धारा 251 के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसी अपील को लागू होंगे ।

112. (1) धारा 111 के अधीन आय-कर आयुक्त (अपील) द्वारा किए गए आदेश से व्यथित कोई निर्धारिती ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा । अपील अधिकरण को अपील।

(2) आय-कर आयुक्त, यदि वह धारा 111 के अधीन आय-कर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित किसी आदेश पर आक्षेप करता है तो निर्धारण अधिकारी को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील करने का निदेश दे सकेगा ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक अपील, उस तारीख से, जिसको वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील किए जाने की वांछा की गई है, यथास्थिति, निर्धारिती या आय-कर आयुक्त को प्राप्त होता है, साठ दिन के भीतर फाइल की जाएगी ।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में होगी और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, सत्यापित की जाएगी और उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई अपील की दशा में, उसके साथ एक हजार रुपए की फीस होगी ।

(5) जहां उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई अपील, अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की गई है, वहां आय-कर

1961 का 43

अधिनियम, 1961 की धारा 253 से धारा 255 के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसी अपील को लागू होंगे ।

113. (1) यदि कोई व्यक्ति, इस अध्याय के या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी सत्यापन में ऐसा मिथ्या कथन करता है या ऐसा लेखा या कथन परिदत्त करता है, जो मिथ्या है, और जिसके बारे में वह यह जानता है कि वह मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने का वह विश्वास करता है या जिसके सही होने का विश्वास नहीं करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा । मिथ्या कथन के लिए शास्ति ।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन दंडनीय कोई अपराध, उस संहिता के अर्थ के भीतर असंज्ञेय समझा जाएगा । 1974 का 2

अभियोजन का संस्थित किया जाना।

114. किसी व्यक्ति के विरुद्ध, धारा 113 के अधीन किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन मुख्य आय-कर आयुक्त की पूर्व मंजूरी के बिना, संस्थित नहीं किया जाएगा ।

नियम बनाने की शक्ति।

115. (1) केंद्रीय सरकार, इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वह समय सीमा, जिसके भीतर और वह प्ररूप तथा रीति, जिसमें ऐसी विवरणी धारा 102 के अधीन परिदत्त की जाएगी या परिदत्त कराई जाएगी या दी जाएगी ; और

(ख) वह प्ररूप, जिसमें धारा 111 या धारा 112 के अधीन अपील फाइल की जा सकेगी और वह रीति, जिसमें वह सत्यापित की जा सकेगी ।

(3) इस अध्याय के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात्, वह नियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पश्चात् दोनों सदन इस बात पर सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो वह तत्पश्चात् निष्प्रभाव हो जाएगा; किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

116. (1) यदि इस अध्याय के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अध्याय के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई आदेश उस तारीख से, जिसको इस अध्याय के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।